न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

उपस्थितः– हिमानी गौतम (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड० यू०पी० 4850

मुकदमा सं०:– 392/1995

अपराध सं०:– 284/1994

सरकार

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. राजाराम पुत्र वली लोध (मृतक)
2. कल्लू पुत्र वली लोध
3. दयाशंकर पुत्र राजाराम (नाबालिग)
4. श्रीमती शिवकली पत्नी राजाराम

समस्त निवासीगण ग्राम जुगराजपुर थाना मौरावां जिला उन्नाव।

..... अभियुक्तगण पक्ष।

धाराः– 323, 324, 504 भा०दं०सं०।

थानाः– मौरावाँ, जिलाः– उन्नाव।

निर्णय

अभियुक्तगण राजाराम, कल्लू, दयाशंकर तथा श्रीमती शिवकली के विरूद्ध थाना मौरावाँ जिला उन्नाव, की पुलिस ने आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० के अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया है।

वादी मुकदमा की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "मेरे पिता को कई सालों पहले मल्जिमानों ने मारा था, जिसका मुकदमा अदालत में चल रहा है। मुल्जिम ने मुझसे कहा कि अपने पिता से कहो कि हमसे सुलह कर ले, इसी बात पर कहा सुनी होने लगी कि मुल्जिमान मुझे पकड़ लिये और मुल्जिमान शिवकली ने कुल्हाड़ी से मेरे उपर वार कर दिया, जिससे मुझे चोटें आयी तथा मुझे गंदी–गंदी गालियाँ दी। आस पास के लोगों ने मेरे चिल्लाने पर मुझे बचाया। वादी

मुकदमा की उक्त जुबानी सूचना के आधार पर यह मामला थाना स्थानीय पर एन०सी०आर० में दर्ज हुआ।"

वादी मुकदमा की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित थाना मौरावाँ जिला उन्नाव में दिनांक 03/08/1994 को धारा 323, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मामला एन०सी०आर० में दर्ज हुआ, जिसमें दौरान विवेचना धारा 324 भा०दं०सं० की बढोत्तरी पाये जाने पर मामले को मु०अ०सं० 284/1994 में तरमीम किया गया, जिसका इन्द्राज जी०डी० में किया गया। मामले की विवेचना की गई। विवेचक ने साक्षीगण के बयान अंकित किये। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया। बाद विवेचना अभियुक्तगण राजाराम, कल्लू, दयाशंकर तथा श्रीमती शिवकली के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दौरान विचारण यह पाया गया कि अभियुक्त सं० 03 दयाशंकर घटना के समय नाबालिग थे, जिस कारण अभियुक्त सं० 03 दयाशंकर को किशोर अपचारी घोषित करते हुये विचारण हेतु उसकी पत्रावली को पृथक करके किशोर न्याय बोर्ड, उन्नाव प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुये न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आये, उनके द्वारा अपनी–अपनी जमानतें करवायी गयी। अभियुक्तगण को नकले दी गयी।

अभियुक्तगण राजाराम, कल्लू तथा श्रीमती शिवकली के विरूद्ध दिनांक 01/04/1997 को आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया एवं विचारण की माँग किया। दौरान विचारण अभियुक्त राजाराम की मृत्यु हो गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त राजाराम के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षी के रूप में पी०डब्लू०–01 पतरावल व पी०डब्लू०–02 के रूप में डा० नवीम प्रकाश श्रीवास्तव को परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट, एन०सी०आर० रिपोर्ट, नक्शानजरी, चिकित्सीय प्रपत्र तथा आरोप पत्र पत्रावली पर दाखिल की गई है।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया है।

मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

वर्तमान दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्तगण कल्लू तथा श्रीमती शिवकली के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 03/08/1994 को समय करीब 01.00 बजे दिन में बहद स्थान ग्राम जुगराजपुर, अन्तर्गत थाना मौरावां जिला उन्नाव में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा रामबिहारी को मारा–पीटा, गंदी–गंदी गालियाँ

दी तथा धारदार हथियार/साधन (कुल्हाड़ी) से मारपीट कर चोटें कारित की। उक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

साक्षी पी०डब्लू०–01 पतरावल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "इस मुकदमें के वादी मुकदमा रामबिहारी मेरे सगे बड़े भाई थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बिन्दा मेरे पिता थे। मेरे भाई रामबिहारी और राजाराम और कल्लू व शिवकली से लड़ाई झगड़ा मारपीट आज से लगभग 27–28 साल पहले हुआ था, जिसमें मेरे भाई रामबिहारी को कुल्हाड़ी से राजाराम और उनके परिवारीजन ने मारापीटा था। मेरे भाई की डाक्टरी सरकारी अस्पताल मौरावां में मेरे पिता के साथ थाने मौरावां जाकर हुयी थी। जब यह मारपीट हुई थी, उस समय मेरे उम्र 6–7 साल की रही होगी। मुझे याद नहीं है कि मेरे भाई रामबिहारी को किसने–किसने मारा था और मुकदमा किसने और कब लिखाया था।"

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि "मैं नहीं बता सकता कि यह मारपीट क्यों हुयी थी। राजाराम, शिवकली, कल्लू और उमाशंकर ने मेरे भाई रामबिहारी को कब मारा, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस समय नसमझ बालक था और घटना के समय गाँव के लड़को के साथ खेल रहा था। मेरे भाई रामबिहारी ने बाद में मुझसे कहा था कि राजाराम और उसके परिवारिजन के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। राजाराम, शिवकली और कल्लू से हमारी बोलचाल है। शिवकली मेरी सगी चाची और कल्लू व राजाराम सगे चाचा है। राजाराम बहुत वृद्ध हो चुके है। मेरे भाई और पिता की मृत्यु के बाद मुल्जिमान से कोई विवाद शेष नहीं है। हम लोग सुलह होकर खुश है।"

साक्षी पी०डब्लू०–02 डा० नवीन प्रकाश श्रीवास्तव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि "दिनांक 03/08/1994 को मैं प्रभारी चिकित्साधिकारी New C.H.C. Maurawan में तैनात था। उस दिन मैंने श्री रामबिहारी पुत्र बिन्दा निवासी ग्राम जुगराजपुर मझरा खेमई का डाक्टरी मुआइना अपराहं समय 05.15 PM पर किया था। परीक्षण के दौरान उनके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी:–

चोट सं० 01– सिर के ऊपर बायी तरफ बाये कान से लगभग 10.00 CM कटी हुई चोट, जो खाल की गहराई तक थी तथा खून के थक्कों द्वारा ढकी हुयी थी। चोट के किनारे पैने थे।

चोट सं० 02– सिर के पिछले भाग में 05.*0.2 CM खाल की गहराई तक कटी हुयी चोटें।

दोनों चोटें साधारण थी तथा किसी पैनी वस्तु द्वारा की गयी थी। चोटें आधे दिन पुरानी थी। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट ड्यूप्लीकेट है, जो दिनांक 10/08/1994 को मेरे द्वारा प्रमाणित की गयी थी। पत्रावली में मूल रिपोर्ट दिनांकित 03/08/1994 भी संलग्न है। पत्रावली में संलग्न मूल मेडिकल रिपोर्ट को देखकर गवाह ने कहा कि उक्त रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया।"

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि "मैंने रामबिहारी की डाक्टरी की थी, जो खुद डाक्टरी कराने आये थे, कोई पुलिस कर्मी साथ में नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट में सेल्फ लिखा हुआ है। जो चोटें मेडिकल में है, वह चोटें मजरूब की साधारण प्रकृति की है। यह चोटें पैनी वस्तु पर गिरने से आ

सकती है। मैने इस मुकदमें में किसी बिन्दा की डाक्टरी नहीं की थी। जब चोटहिल अस्पताल आया था, तब खून नहीं बह रहा था। जिस तरह की चोटें चोटहिल को थी, वह बनायी भी जा सकती है। यह कहना गलत है कि मैंने चोटहिल की फर्जी डाक्टरी की हो तथा यह भी कहना गलत है कि मैने झूँठा मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया है।"

अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा उक्त दो साक्षियों को पत्रावली पर परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा कोई अन्य साक्षी पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 01 के रूप में परीक्षित साक्षी पतरावल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मेरे भाई रामबिहारी और राजाराम और कल्लू व शिवकली से लड़ाई झगड़ा मारपीट आज से लगभग 27–28 साल पहले हुआ था, जिसमें मेरे भाई रामबिहारी को कुल्हाड़ी से राजाराम और उनके परिवारीजन ने मारापीटा था। मेरे भाई की डाक्टरी सरकारी अस्पताल मौरावां में मेरे पिता के साथ थाने मौरावां जाकर हुयी थी। जब यह मारपीट हुई थी, उस समय मेरे उम्र 6–7 साल की रही होगी। मुझे याद नहीं है कि मेरे भाई रामबिहारी को किसने–किसने मारा था और मुकदमा किसने और कब लिखाया था।" उक्त साक्षी की मुख्य परीक्षा के बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसके भाई के साथ तथाकथित घटना तो घटी थी, परंतु उक्त तथाकथित घटना को किसके द्वारा कारित किया गया था, इस बाबत साक्षी को कोई जानकारी नहीं है। वहीं उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि "राजाराम, शिवकली, कल्लू और उमाशंकर ने मेरे भाई रामबिहारी को कब मारा, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस समय नसमझ बालक था और घटना के समय गाँव के लड़को के साथ खेल रहा था। मेरे भाई रामबिहारी ने बाद में मुझसे कहा था कि राजाराम और उसके परिवारिजन के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है।" साक्षी के उक्त प्रतिपरीक्षा के बयानों से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा तथाकथित घटना को कारित होते हुये उसके द्वारा नहीं देखा गया था, क्योंकि वह उस समय गाँव के लड़को के साथ खेल रहा था। साक्षी को उसके भाई, जो घटना के चोटहिल है व जिनकी मृत्यु हो चुकी है, द्वारा मात्र यह बताया गया था कि उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।

इसी क्रम में अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 02 के रूप में डा० नवीन प्रकाश श्रीवास्तव को परीक्षित कराया गया है, जो कि घटना के चिकित्सीय साक्षी है तथा उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि "मैंने रामबिहारी की डाक्टरी की थी, जो खुद डाक्टरी कराने आये थे, कोई पुलिस कर्मी साथ में नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट में सेल्फ लिखा हुआ है। जो चोटें मेडिकल में है, वह चोटें मजरूब की साधारण प्रकृति की है। यह चोटें पैनी वस्तु पर गिरने से आ सकती है। मैने इस मुकदमें में किसी बिन्दा की डाक्टरी नहीं की थी। जब चोटहिल अस्पताल आया था, तब खून नहीं बह रहा था। जिस तरह की चोटें चोटहिल को थी, वह बनायी भी जा सकती है।"

इस प्रकार गवाहों के बयानों से अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के तथ्य संदिग्ध साबित होते है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अभियुक्तगण कल्लू तथा श्रीमती शिवकली के विरूद्व कोई पुख्ता साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण कल्लू तथा श्रीमती शिवकली को उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा को मारने–पीटने, गाली–गलौज देने तथा धारदार हथियार/साधन (कुल्हाड़ी) से मारपीट कर उपहति कारित करने के तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होते है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन द्वारा अपने अभियोजन कथानक को समस्त तथ्यों को युक्तयुक्ति संदेह से परे जाकर न्यायालय के समक्ष साबित करना चाहिये, किन्तु उक्त प्रकरण में अभियोजन ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण कल्लू तथा श्रीमती शिवकली संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित समस्त विवेचना के आधार न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण कल्लू तथा श्रीमती शिवकली के विरूद्व लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्तगण कल्लू तथा श्रीमती शिवकली को धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके बन्धपत्र निरस्त एवं प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में दाखिल जमानतें अपील अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः– 30/05/2026

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांकः– 30/05/2026

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।